

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर  
क्रमांक : प. 35( ) ( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/2125 दिनांक : 17/04/2020

**आदेश**

कोविड-19 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों से आवश्यक सामग्रियों के संबंध में प्राप्त होने वाली मांग का निर्धारण कर नियमानुसार वांछित सामग्री क्रय करने हेतु निम्नानुसार क्रय कमेटी का गठन किया जाता है-

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
2. कोषाधिकारी, बाड़मेर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
4. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, आ.प्र. एवं सहा. शाखा कार्यालय हाजा

उपरोक्त कमेटी द्वारा कोविड-19 के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली आवश्यक सामग्री हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता के अनुमोदनोपरान्त कार्यादेश जारी किया जावेगा।

(विश्राम जीणा)

जिला कलक्टर,

आ.प्र.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा  
बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( ) ( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/2126-2129

दिनांक : 17/04/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
2. कोषाधिकारी, बाड़मेर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
4. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, आ.प्र. एवं सहा. शाखा कार्यालय हाजा

जिला कलक्टर,

आ.प्र.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा  
बाड़मेर